

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र बांदरा

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

धर्माराम पुत्र राजुसिंह जाति भेगवाल,

निवासी-आदर्श महाबार हाल सांसीयो की

बस्ती बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।

1. वीरोदेवी पत्नी लीलाराम 2. दिनेश कुमार पुत्र लीलाराम 3. डेली चौधरी पत्नी हिमताराम जातियान जाट 4. मोडसिंह पुत्र नाथुसिंह 5. प्रेमसिंह पुत्र नाथुसिंह 6. सुजानसिंह पुत्र कुम्पसिंह 7. धनसिंह पुत्र कुम्पसिंह 8. वीरसिंह पुत्र कुम्पसिंह 9. भगसिंह पुत्र कुम्पसिंह 10. जुंझारसिंह पुत्र कुम्पसिंह 11. सुआकंवर पत्नी कुम्पसिंह 12. भेरसिंह पुत्र हेमसिंह 13. स्वरूपसिंह पुत्र हेमसिंह 14. अनेकंवर पत्नी पदमसिंह 15. बाबुसिंह पुत्र पदमसिंह 16. राजुसिंह पुत्र पदमसिंह विप्रार्थी संख्या 15 व 16 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती अनेकंवर विप्रार्थी संख्या 14 निवासीयान सांसीयो की बस्ती बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर 17. तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-104/2021

दिनांक-25.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांसीयो की बस्ती, पटवार बांदरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 936/848 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 30/10/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6103-6105

प्रतिलिपि:- निर्माकित को सूचनार्थ एव पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बांदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी धर्माराम पुत्र राजुसिंह जाति भेगवाल निवासी आदर्श महाबार हाल निवासी सांसियों की बस्ती बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी वीरोदेवी पत्नी लीलाराम वगैरह जातियान जाट/राजपूत निवासी सांसियों की बस्ती तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर